



Neutral Citation No.-2026:AHC:4233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-44770 वर्ष 2025

जग्गू @ जगपाल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मरजीत मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मरजीत मिश्रा, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-387 वर्ष 2024 (एस.टी. संख्या-5247 वर्ष 2024) में धारा 147, 148, 149, 323, 342, 302, 504 और 506 भ०द०वि०, थाना-कोतवाली शामली, जिला: शामली के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी सतीश को इस न्यायालय द्वारा 2024 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-38953 में पारित दिनांक 05.12.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, क्योंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह समानता के आधार पर जमानत पर भी रिहा किये जाने का हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 26.06.2024 से जेल में बंद हैं। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।



5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का राज्य विधि अधिकारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

7. आवेदक- जग्गू @ जगपाल, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 8, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)